# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1118/2019**

राजाराम

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. सामान्य पुलिस निरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, अजमेर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 27.05.2019
**आदेश की दिनांक** : 17.05.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री कुणाल रावत, अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गठित तीन सदस्य समीक्षा बोर्ड द्वारा समीक्षा कार्यवाही आयोजित की गई थी, जिसके तहत बोर्ड के सदस्यों द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाल हेड कांस्टेबल्स के रिक्त पदों की पुनर्गणना की गई। समीक्षा से पूर्व रिक्यिां 120 थीं, जिनमें से 120 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा समीक्षा के पश्चात बोर्ड ने 40 और हेड कांस्टेबल रिक्तियां जोडीं, जिससे वर्ष 2013–14 के लिए कुल रिक्यिां 160 हो गई। वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के सापेक्ष हेड कांस्टेबल के पद हेतु चयनित 158 अभ्यर्थियों की नई सूची भी बोर्ड के सदस्यों द्वारा समीक्षा बोर्ड की कार्यवाही के साथ जारी की गई। अपीलार्थी उक्त समीक्षा बोर्ड की कार्यवाही से व्यथित है,क्योंकि उसका नाम चयन सूची में नहीं आया है। रिव्यू बोर्ड का कार्यवाही विवरण (अनुलग्नक–1) पर है। अपीलार्थी वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 3 के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में 2003 में नियुक्त कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा है। कांस्टेबल होने के नाते, उसने वर्ष 2013–14 के लिए हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए उपर्युक्त अधिसूचित रिक्तियों के लिए आवेदन किया था। अपीलार्थी लिखित पेपर और उसके बाद आउटडोर परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ और उसे इन परीक्षाओं में सफल घोषित किया गया और वह साक्षात्कार में उपस्थित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से, अंतिम चयन सूची में उसे असफल घोषित कर दिया गया। वह यह जानकर हैरान रह गया कि उसका चयन नहीं हुआ है। इसलिए, अपीलार्थी ने

परीक्षा में प्राप्त अंकों और प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटइआई के तहत आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के रिकॉर्ड से संबंधित सभी प्रतियां अपीलार्थी को प्रदान कीं। जिससे उसे पता चला कि उसका नाम क्रम संख्या 141 पर सूचीबद्व है और उसने लिखित परीक्षा तथा आउटडोर परीक्षा में कुल 107 अंक प्राप्त किए है और रिकॉर्ड विश्लेषण और साक्षात्कार में केवल 32 अंक प्राप्त किए हैं, कुल मिलाकर उसने 139 अंक प्राप्त किए है। इसके बाद अपीलार्थी ने दस्तावेजों की आगे जांच की ताकि पता चल सके कि उसने 32 अंक कैसे प्राप्त किए और जांच से पता चला कि उसे शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण श्रेणी और खेल श्रेणी में 0 अंक दिया गया है। आरटीआई में प्राप्त सूचना संकलित रूप से (अनुलग्नक–2) पर है। अपीलार्थी के पास जिला स्तरीय कबड्डी और रस्साकशी (रस्सा कसी) खिलाड़ी है और जिला, रेंज एवं राज्य स्तर पर कबड्डी और रस्साकशी में भागीदारी के संबंध में कई प्रमाण पत्र है। इसके अलावा अपीलार्थी के पास एम.ए. (इतिहास) की डिग्री है, जिसे उसने 2009 में पास किया था। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें हेड कांस्टेबल की पदोन्नति के लिए नहीं चुना गया। समस्त रिकॉर्ड सकंलित अनुलग्नक–3 पर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी हेड कांस्टेबल के चयन हेतु पात्र है। अपीलार्थी ने इन समस्त तथ्यों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 22.05.2019 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु इस पर कोई कार्यवाही नही की गई।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग की दिनांक 15.02.2019 की बोर्ड कार्यवाही को निरस्त कर अपास्त रखा जावें एवं वर्ष 2013–14 के लिए हेड कांस्टेबलों की नई चयन सूची तैयार करने तथा संशोधित रिक्तियों के विरूद्ध हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए अपीलार्थी को नाम पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी वर्ष 2013–14 के लिए पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुआ था, लेकिन उसने पेपर–1 (लिखित परेड और आउटडोर) में कुल अंकों में से 107 अंक प्राप्त किए तथा पेपर–2 में (रिकॉर्ड और साक्षात्कार) में अपीलार्थी ने 75 अंकों में से 32 अंक प्राप्त किए। अभ्यर्थी के लिए पेपर–2 (रिकॉर्ड और साक्षात्कार) में पास होने के लिए 45 प्रतिशत अंक यानी 33.75 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। चूंकि अपीलार्थी ने पेपर–2 (रिकॉर्ड और साक्षात्कार) में 32 अंक प्राप्त किए थे, इसलिए वह वर्ष 2013–14 के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका और हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए चयनित नहीं किया जा सका। अतः अपीलार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। हेड कांस्टेबल

के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता परीक्षा के समय अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास थी। उसने अपनी सेवा पुस्तिका में अपनी शैक्षणिक योग्यता एम.ए.दर्ज करने के लिए दिनांक 04.10.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अपीलार्थी को मूल रूप में इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया कि आगे कि आगे की पढ़ाई के लिए विभाग का अनुमोदन भी संलग्न किया जाए। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में खेलकूद गतिविधियों को कोई इन्द्राज नहीं है। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में (अनुलग्नक–आर/1) पर प्रस्तुत है। चूंकि अपीलार्थी ने पेपर–2 (रिकॉर्ड और साक्षात्कार) में 32 अंक प्राप्त किए थे। इस प्रकार वह वर्ष 2013–14 के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका तथा हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए चयनित नहीं हो सका।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी को पेपर–1 में 107 नम्बर दर्शाये गये है वह विवादित नहीं है किंतु पेपर–2 में 32 अंकों का जो आकंलन किया गया है वह गलत है क्योंकि अपीलार्थी को शैक्षणिक योग्यता में 0 दर्शाया गया है वह गलत है क्योंकि अपीलार्थी ने विभागीय आदेशानुसार दिनांक 31.12.2004 के आदेश क्रमांक प–7(2) अजम–फोर्स/3–4/12583–90 के जरिये अपीलार्थी को बी.ए प्रथम वर्ष में परीक्षा में बैठने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसको अपीलार्थी ने उत्तीर्ण किया है। उसी क्रम में दिनांक 16.01.2006 को आदेश क्रमांक 713/2023 के जरिये विभाग द्वारा अपीलार्थी को 2005 में बी.ए. द्वितीय वर्ष में परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी गई। जिसको अपीलार्थी ने उत्तीर्ण किया। उसके बाद अपीलार्थी ने बी.ए. फाईनल की परीक्षा 2007 में पास की गई। उक्त शैक्षणिक योग्यता की अंक देने की जिम्मेदारी प्रत्यार्थी विभाग की थी जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दिया गया। अपीलार्थी को 10 में से 0 नम्बर दिया गया, जबकि बी.ए. के 5 अंक मिलने चाहिए थे और उसके बाद अपीलार्थी ने एम.ए. पास किया, जिसके भी 5 अंक अपीलार्थी को मिलने चाहिए थे। आदेश दिनांक 13.12.2004 एवं दिनांक 16.01.2006 की प्रति संलग्न है। अपीलार्थी को खेलकूद में 0 अंक दिया गया है जबकि अपीलार्थी ने 2009 में अठारहवी अजमेर रेंज पुलिस गेम्स एवं ड्यूटी मीट 2009 में भाग लिया था और उसके बाद स्टेट रेंज में नामित किया गया। इसके अलावा 20वीं अजमेर रेंज पुलिस गेम्स एण्ड डयूटी मीट 2011 में भी अपीलार्थी ने भाग लिया था। दोनो प्रमाण पत्र सलंग्न है। उसके अंक भी अपीलार्थी को नहीं दिये गये जो दिये जाने चाहिए थे। अपीलार्थी ने रेफ्रेशर कोर्स 2011 में किया था उसके नम्बर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं जोड़े गये। इसके अलावा अपीलार्थी को पुरस्कार व सजा के कॉलम में 20 में से 16 अंक दिये गये जबकि उक्त अंक 20 में से 20 होने चाहिए थे क्योंकि अपीलार्थी को कोई सजा नहीं है इसलिए उसके 10 नम्बर व प्रशंसा पत्र

व नकद इनाम के 10 नम्बर होने चाहिए थे किंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 6 नम्बर ही दिये गये है। अपीलार्थी को दिनांक 30.01.2009, 22.09.2009, 22.09.2009,22.09.2009 व 07.06.2010 के जरिये 8 बार नकद पुरस्कार का आदेश दिया गया था, इसके अलावा दिनांक 22.03.2009 व 01.10.2010 के जरिये नकद ईनाम दिया गया, इस प्रकार अपीलार्थी को पूरे 15 बार नकद पुरस्कार दिये गये है इसलिए पूरे नम्बर मिलने चाहिए थे। उक्त नम्बरों को अगर अपीलार्थी के पार्ट सैकिण्ड में नियमानुसार जोड़े जाते तो उक्त अंक 33.75 से ज्यादा होते और अपीलार्थी पास हो जाता। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग की अपनी गलती है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कानूनी रूप से उसके नम्बरों की गलत गणना करके फैल किया गया है। अपीलार्थी के नम्बर वापस जोड़ा जाना आवश्यक है। इसके बाबत अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से निवेदन किया गया था जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अनुमति देने के बावजूद भी स्नातक स्तर के नम्बर नहीं जोडे गये और स्नातककोतर के नम्बर भी नहीं जोडे गये, जबकि अपीलार्थी ने हैड कांस्टेबल की परीक्षा के लिए अपना फार्म भरा था जिसमें अपीलार्थी ने अपने स्नातककोतर होने का उल्लेख किया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सर्विस बुक का पूरा रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। अतः सही अंकों की गणना करने एवं पदोन्नत हेतु अनुतोष चाहा गया।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील वर्ष 2013–14 की हेड कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा में अपीलार्थी को द्वितीय पेपर (रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार) में सही अंक नहीं देकर चयन से वंचित रखने से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा पेपर प्रथम में 107 अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किया गया परंतु पेपर द्वितीय में निर्धारित न्यूनतम 33.75 अंकों से कम 32 प्राप्त होने पर हेड कांस्टेबल में चयन नहीं किया गया है (अनुलग्नक–1 व 2)। पत्रावली पर प्रस्तुत अंकतालिका के अनुसार अपीलार्थी ने पेपर–2 (रिकॉर्ड विश्लेषण एवं साक्षात्कार) में निम्नानुसार प्राप्त हुए है।

| विवरण | अंक |
|---|---|
| शैक्षणिक योग्यता | 0 |
| वार्षिक कार्य मूल्याकंन | 8 |
| पुरूस्कार एवं सजा | 16 |
| प्रशिक्षण | 0 |
| खेलकूद | 0 |
| साक्षात्कार | 8 |
| कुल | 32 |

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी को बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.ए. द्वितीय वर्ष परीक्षा में भाग लेने की अनुमति विभाग द्वारा जारी की गई एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अकंतालिका भी पत्रावली पर है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस तथ्य का खंडन नहीं किया है। विभाग का यह कथन है कि अपीलार्थी ने वर्ष 2019 में शैक्षणिक योग्यता को सेवाभिलेख में अंकन हेतु आवेदन किया एवं पदोन्नति परीक्षा के समय रिकॉर्ड में 12 वीं उत्तीर्ण था एवं आगे के अध्ययन की विभागीय अनुमति नहीं ली। जबकि सर्विस बुक से अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2019 में एम.ए. की शैक्षणिक योग्य सर्विस बुक में दर्ज की गई है।

पुरस्कार एवं सजा में अपीलार्थी के कोई दण्ड नहीं होने से 10 अंक एवं नकद प्रशंसा पत्र के 6 अंक कुल 16 अंक दिए गये है। अपीलार्थी ने रिजोइंड के साथ 11 नगद प्रशंसा पत्र के आदेश प्रस्तुत किए गये है जिसमें उसे पुलिस अधीक्षक द्वारा नकद प्रशंसा पत्र दिए गये है। अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रशिक्षण एवं खेलकूद के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए है। पदोन्नति पाठ्यक्रम में स्टेट पुलिस गेम्स में रेंज से नामित होने एवं इंडिया पुलिस गेम्स में स्टेट से नामित होने पर अंक देने की व्यवस्था है। अतः इनमें शून्य अंक देना नियमानुसार है।

उपलब्ध दस्तावेजों के दृष्टिगत हमारा मानना है कि अपीलार्थी को पुरस्कार एवं सजा में दिए 16 अंक एवं शैक्षणिक योग्यता में कोई अंक नहीं देने का पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है क्योंकि हमारे मत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी इन मदों में ज्यादा अंक प्राप्त करने का पात्र है।

अतः अपील अपीलार्थी इस हद तक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2013–14 की हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा में द्वितीय भाग (रिकॉर्ड एवं साक्षात्कार) में अपीलार्थी को पुरूस्कार एवं सजा में दिए गये 16 अंक एवं शैक्षणिक योग्यता में दिए शून्य अंको का पुनः परीक्षण किया जावे एवं अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों के दृष्टिगत पदोन्नति पाठ्यक्रम में निर्धारित अंक दिए जाकर अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्ती के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 3 माह की अवधि में उक्त कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित किया जावे।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**